



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2019/आश्विन 26, 1941

No. 3412]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2019/ASVINA 26, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

सं. 25/2015-2020

विषय : राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) को भेजे गए मामलों के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में नए प्रावधान को शामिल करना।

का.आ. 3752(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 2 में एक नया पैरा सं. 2.15 क को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :

2.15 क राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अधिर्णयन की कार्यवाही के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी विदेश व्यापार नीति के तहत किन्हीं स्कीमों के अंतर्गत किसी भी बकाया निर्यात दायित्वों/देयताओं के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) और एनसीएलटी को सूचित करेगा। ब्याज के साथ कुल बकाया बचायी गयी शुल्क राशि/देय राशि, और विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माना अथवा अन्य कोई शुल्कों की उक्त फर्म/कंपनी के विरुद्ध सरकार को देय राशि के भाग के रूप में गणना की जाएगी।

अधिसूचना का प्रभाव: राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 2 में एक नए पैरा को जोड़ा गया है।

[फा. सं. 01/94/180/019/एएम-20/पीसी-4]

बिद्युत बिहारी स्वैन, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2019

No. 25/2015-2020**Subject: Incorporation of new provision in the Foreign Trade Policy 2015-20 about cases referred to National Company Law Tribunal (NCLT).**

S.O. 3752(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-20.

A new para No. 2.15 A is added in Chapter 2 of Foreign Trade Policy 2015-20 as under:

2.15 A Any firm/company coming under the adjudication proceedings before the National Company Law Tribunal (NCLT) shall inform the concerned Regional Authority (RA) and NCLT of any outstanding export obligations/liabilities under any of the schemes under FTP. The total outstanding duty saved amount/dues along with interest, and any penalty imposed under FTD&R Act, or any other dues, shall be counted as part of the dues to the government against the said firm/company.

Effect of the Notification: A new para has been added in Chapter 2 of Foreign Trade Policy 2015-20 about the cases referred to the National Company Law Tribunal.

[F. No. 01/94/180/019/AM20/PC-4]

BIDYUT BEHARI SWAIN, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.